विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2025/42 दिनांक :- 10.01.2025

प्रति,

प्राचार्य,
शा.विधि महाविद्यालय,
आगर, जिला-आगर मालवा(म.प्र.)

विषय :- सत्र 2025-26 हेतु नवीन शा.विधि महाविद्यालय,आगर,जिला-आगर मालवा में नवीन पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता के संबंध में।

संदर्भ :- (1)महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/VU2501100002 (RTGS के माध्यम से जमा शुल्क दिनांक 10.01.2025)
(2) अवर सचिव,उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक/एफ-2/1/14/0001/2022/38-2, भोपाल,दिनांक 24.01.2024,

उपरोक्त संदर्भित एवं विषयान्तर्गत, सत्र 2025-26 में महाविद्यालय द्वारा आवेदित नवीन पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदनानुसार विद्यापरिषद् की स्थाई समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में महाविद्यालय को सत्र 2025-26 में निम्न पाठ्यक्रम की नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.एल.एल.बी.(ऑनर्स)(पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) - प्रथम वर्ष	बी.सी.आई. के नियमानुसार

शर्ते :-

01. महाविद्यालय को इस पत्र प्राप्ति की तिथि से 03 दिवस में निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
02. बी.सी.आई. के नियमानुसार पृथक भवन, मूट कोर्ट, पुस्तकालय, इत्यादि की व्यवस्था शीघ्र की जावे।
03. संबंधित नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं आयुक्त मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
04. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
05. बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता के पश्चात ही महाविद्यालय प्रवेश संबंधी कार्यवाही करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
06. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किये जाने संबंधी पत्र पृथक से जारी किया जाएगा।

शेष शर्ते परिनियम क्रमांक 27 एवं 28 के अनुसार यथावत रहेगी एवं महाविद्यालय विश्वविद्यालय एवं शासन के पश्चातवर्ती आदेश/निर्देश का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

विशेष नोट :-(1) महाविद्यालय इस अस्थाई सम्बद्धता पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर बी.सी.आई. से मान्यता पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
(2) यदि महाविद्यालय को बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा 60 सीट से अधिक सीट प्रदान की जाती है तो,महाविद्यालय को नियमानुसार अतिरिक्त सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना होगा।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव(अकादमिक)

निरंतर...02

41E/New Fold./Affi.college/Agar/Affi.Latt

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2025/43 दिनांक :- 10.01.2025

प्रतिलिपि :- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01. प्राचार्य,नेहरू शा.स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय,आगर,जिला-आगर मालवा।
02. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय सतपुड़ा भवन,भोपाल।
03. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली।
04. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
05. उप/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. प्रभारी, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
07. प्रभारी वेबसाईट, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
08. माननीय कुलगुरूजी कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

उपकुलसचिव(अकादमिक)

42E/New Fold./Affi.college/Agar/Affi.Latt

Scanned with CamScanner